UNIT - 5

INDUSTRY

Industrial Development during the Planning period

औद्योगिक विकास योजना अवधि के दौरान :=>

⇒ I] योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही महत्वपूर्ण भूमिका निम्न कारणों से सौंपी गई थी :-

(1) स्वतंत्रता के समय, भारतीय उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक उपक्रमों में निवेश करने के लिए पूंजी नहीं थी।

(2) न ही भारतीय बाजार इतना बड़ा था, कि उद्योगपतियों को बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(3) भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करना था

(4) देश में आर्थिक एवं सामाजिक समानता को बढ़ाना था

इन सभी तत्वों से प्रभावित होकर सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई।

Scanned with CamScanner

II] भारत में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र (modern Industrial sector) की शुरुआत 1854 में मुंबई ~~में वस्त्र उद्योग~~ में हुई। वह पर पहला वस्त्र उद्योग (Textile Industry) की स्थापना हुई थी। 1855 में हुगली कोलकत्ता घाटी में रिशरा नामक स्थान पर जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा जमशेदपुर में कार्य शुरू हुआ था। 1948 एवं 1956 की औद्योगिक नीतियां भारत में औद्योगिक विकास की दिशा का संकेत देती है।

i) पहली पंचवर्षीय योजना (1952-56) :- इस योजना में औद्योगिक विकास उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तक सीमित था। जैसे - सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, चमड़े का सामान, कागज, औषधि, रसायन इत्यादि।

ii) दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) :⇒ इस योजना में उद्योगों के विविधीकरण पर जो दिया गया। रसायन उद्योग, जैसे - नाइट्रोजनी उर्वरक, कास्टिक सोडा, आदि; लौह व इस्पात, तथा भारी मशीन उपकरण उद्योग शामिल थे।

iii) तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनाएं (1961-74) :⇒ वर्ष 1962, 1965 एवं 1971 के युद्धों तथा 1965-67 के अकाल संकट के कारण इस अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की गति बाधित हुई। अधिकांश उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़। किंतु 1971 के बाद स्थिति में सुधार आता गया।

Scanned with CamScanner

iv) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) :⇒ इस योजना में निर्यात एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन एवं कोर क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। इस समय पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के कारण विश्व में आर्थिक संकट छाया हुआ था। इसलिए खाद्यान्नों व उर्वरकों के रूप में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इन सभी कारकों ने योजना द्वारा निर्धारित औद्योगिक विनेश लक्ष्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया।

v) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) :⇒ इस योजना में एल्युमीनियम, सीसा, जिंक, विद्युत उपकरण एवं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। * मशीनी उपकरण, यात्री कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेलिविजन रिसीवर के निर्माण के लक्ष्यों को भी पूरा किया। तथा देश में सूक्ष्म कम्प्यूटरों, माइक्रो प्रोसेसरों, संचार उपकरों, प्रसारण एवं टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरणों का उत्पादन आरम्भ हो गया।

vi) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) :⇒ इस योजना काल में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य नवोदित उद्योगों को व्यापक महत्व दिया गया। तीव्र घरेलू मांग की पूर्ति के साथ-साथ इनका निर्यात भी किया जा सके।

vii) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) :⇒ इस योजना काल में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए और L.P.G. को अपनाया गया।

Scanned with CamScanner

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) :⇒

इस योजनाकाल में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए। बीमार सार्वजनिक क्षेत्र को पुनः जीवित करना और ऐसा न हो पाने पर उन्हें बंद करना शामिल था।

IX दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) :⇒ इस योजना काल में उद्योगों एवं सेवाओं में 10% का लक्ष्य था, जो प्राप्त नहीं हो पाया, फिर भी उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर योजनाकाल में अच्छी रही। 8% प्राप्त हो सकी।

X ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) :⇒

इस योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 12% प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों में बढ़ोतरी करने तथा उसे प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने पर लक्ष्य और कानूनों को लचीला बनाने, उर्वरक तथा चीनी जैसे उद्योगों को विनियंत्रित करना तथा खनन नीति पर पुनर्विचार करना शामिल किया गया।

xi) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) :⇒

इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में 12-14% का लक्ष्य रखा गया। ताकि 2025 तक 100 मिलियन रोजगार सृजन किया, ग्रामीण और शहरी प्रवासियों को उचित कौशल विकास पर जोर देकर संवृद्धि को समावेशी बनाना, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना आदि था।

Scanned with CamScanner

INDUSTRIAL POLICY OF 1948, 1956, 1977 and 1991 :⇒

(1) औद्योगिक नीति 1948 (Industrial Policy 1948) :⇒

इस औद्योगिक नीति की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। इस नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को स्वीकार किया गया। इस नीति ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था की रखी थी। इस नीति में उद्योगों को चार भागों में बाँटा गया है, जो निम्नलिखित हैं—

1) प्रथम वर्ग में सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों (अस्त्र-शस्त्र, अणुशक्ति, रेल परिवहन इत्यादि) को रखा गया तथा इस पर सरकार के एकाधिकार की बात कही गई।

2) द्वितीय वर्ग में 6 आधारभूत उद्योग कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा खनिज तेल उद्योग को रखा गया। इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते रहने की छूट आज्ञा थी, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इनके राष्ट्रीयकरण की बात भी कही गई।

Scanned with CamScanner

3) तृतीय वर्ग में 18 उद्योगों को रखा गया, जिनमें रासायनिक, चीनी, सूती, एवं ~~ऊनी~~ अन्य वस्त्र, सीमेंट, कागज, गत्ता, मशीन टूल्स इत्यादि मुख्य हैं। इन उद्योगों को निजी एवं सरकारी क्षेत्रों द्वारा स्थापित एवं संचालित किया जा सकता था।

4) चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत कृषि उद्योगों को रखा गया तथा इसे निजी एवं सहकारी क्षेत्र में स्थापित एवं संचालन की ~~आ~~ आज्ञा दी गई।

2) औद्योगिक नीति 1956 (Industrial Policy 1956) :⇒

भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1958 में लागू की गई। इस में आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसी लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसमें उद्योगों को 3 वर्ग में रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं —

1) प्रथम वर्ग A इसके अंतर्गत आधारभूत क्षेत्र के 17 उद्योगों को रखा गया। 1956 की औद्योगिक नीति में इन पर सर्वाधिक बल दिया गया।

2) द्वितीय वर्ग B इस सूची में 12 उद्योगों को रखा गया।

3) तृतीय वर्ग C इसके अंतर्गत शेष सभी उद्योगों को रखा गया। निजी उद्यमियों को इसके विकास की इजाजत दी गई।

Scanned with CamScanner

1956 की नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, कि इसमें उद्योगों का वर्गीकरण अधिक कठोर नहीं था, तथा आगे आवश्यकतानुसार सूचियों में परिवर्तन संभव था। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा छोटे उद्योगों के विकास में समन्वय पर बल दिया गया। ~~इस~~ औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विषमता को कम करने पर भी बल दिया गया। तथा समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं प्रबंधकीय मामलों में उनकी भागीदारी को स्वीकार किया गया।

3) औद्योगिक नीति 1977 (Industrial Policy 1977) :⇒

1977 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आया। 30 वर्षों से चला आ रहा ~~कांग्रेस~~ कांग्रेस शासन समाप्त हो गया और देश में जनता सरकार की स्थापना हुई। इस नीति की विशेषताएँ निम्नलिखित —

i) रोजगार के अवसरों में वृद्धि
ii) लघु एवं कुटीर उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता
iii) सूक्ष्म क्षेत्र का सृजन
iv) उद्योगों का विकास एवं जिला उद्योग केंद्र
v) जिला सारक योजनाएँ
vi) खादी एवं ग्रामीण उद्योग
vii) स्वदेशी एवं विदेशी प्रौद्योगिकी
viii) विदेशी विनियोग
ix) आयात में छूट (तकनीकी में)
x) संयुक्त सहयोग

Scanned with CamScanner

उत्पादों का निर्यात

xii) उद्योगों का स्थानीयकरण

xiii) मूल्य नीति

xiv) श्रमिक सहभागिता

xv) उद्योगों में स्वच्छता की रोकथाम

xvi) सार्वजनिक क्षेत्र का बढ़ता हुआ कार्यभार

xvii) तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन

4) नवीन औद्योगिक नीति, 1991 (New Industrial Policy, 1991) :⇒

उद्योगों की कुशलता, विकास और तकनीकी स्तर को ऊँचा करने और विश्व बाजार में इन्हें प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से औद्योगिक नीति, 1991 की घोषणा की गई। इस नीति की घोषणा 24 जुलाई, 1991 को लोकसभा में उद्योग राज्यमंत्री श्री पी.जे. कुरियन तथा राज्यसभा में श्री पी. के. थुंगन द्वारा की गई।

- उद्देश्य (objectives) :⇒

1) आत्म निर्भरता
2) सुदृढ़ नीति संरचना
3) लघु उद्योगों का विकास
4) विदेशी विनिमय एवं सहकार्य
5) एकाधिकार की समाप्ति
6) सार्वजनिक क्षेत्र की उचित भूमिका
7) श्रमिकों के हितों का संरक्षण

Scanned with CamScanner

विशेषताएँ (Characteristics) :=>

1) उदार औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था
2) विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन
3) विदेशी तकनीक
4) सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका
5) विद्यमान पंजीकरण योजनाओं की समाप्ति
6) एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन
7) विद्यमान इकाइयों का विस्तार एवं विविधीकरण
8) परिवर्तन वाक्यांश की समाप्ति
9) विदेशों से पूंजीगत सामान का आयात
10) श्रमिकों के संबंध में नीति

⇒ नवीन औद्योगिक नीति, 1991 का मूल्यांकन (An Evaluation of New Industrial Policy, 1991)

नवीन औद्योगिक नीति, 1991 अब तक अपनायी गयी नीतियों से बिलकुल भिन्न है। सरकार ने इस नीति को "खुली औद्योगिक नीति" की संज्ञा प्रदान की है। जिसमें अनेक प्रकार के पहलुओं को शामिल किया गया है। औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एवं एकाधिकारी अधिनियम का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया है।

विदेशी पूंजी के पर्याप्त स्वागत की नीति अपनाई गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। यह नीति औद्योगिक गतिशीलता बढ़ायेगी। ~~जैसा की~~ FERA को FEMA में बदल दिया गया है। जिसके कारण निजी क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हो रहा है। इन सबके आधार पर यह कहा जा सकता है, कि नवीन औद्योगिक नीति भारतीय उद्योगों को आधुनिक, कुशल गुणवत्ता प्रधान, उत्पादन बढ़ाने वाली, विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने वाली और रोजगार प्रदान करने वाली है।

औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति MRTP Act

Industrial Licensing Policy MRTP Act

⇒ **औद्योगिक Licensing नीति का आशय :⇒**

"औद्योगिक लाइसेंस, उद्योगों के विकास एवं संचालन पर नियंत्रण रखने की एक व्यवस्था प्रणाली या पद्धति है।"

→ **उद्देश्य (objectives) :⇒**

① आर्थिक एवं औद्योगिक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उद्योगों का विकास एवं नियमन करना।

2) भारी एवं प्राथमिक उद्योगों का विकास करना
3) उद्योगों में नवीन उत्पादन विधियों एवं तकनीकी को प्रोत्साहन करना।
4) लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना।
5) उद्योगों के एकाधिकार एवं आर्थिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना।
6) औद्योगिक नीति के सकल क्रियान्वयन में सहायता करना।
7) उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

⇒ Processing of Licensing (प्रक्रिया) :⇒ Licence प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करता होता है। लाइसेंस निम्न चार दशाओं में अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होता है —

1. नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिये।
2. विद्यमान इकाई द्वारा नयी वस्तु का उत्पादन करने के लिए।
3. विद्यमान इकाई का विस्तार करने के लिए।
4. विद्यमान इकाई द्वारा व्यवसाय संचालन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए।
5. विद्यमान इकाई द्वारा स्थान परिवर्तन करने के लिये।

Scanned with CamScanner

The Monopolies And Restrictive Trade Practic Act, 1969 (M.R.T.P. Act) :=>

⇒ (एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969) :=>

भारत सरकार ने April 1964 में एक 5 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का कार्य आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण की जाँच करना था। आयोग के अध्यक्ष Supreme Court के न्यायाधीश श्री के. सी. दास गुप्त थे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश की संसद ने ~~1964~~, December, 1969 को एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम को पारित कर दिया। 1 जून, 1970 से इसे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम में 67 धारायें हैं।

• उद्देश्य (Objectives) :=>

1) आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना।
2) एकाधिकार पर नियंत्रण स्थापित करना।
3) प्रतिबंधात्मक व्यापार को रोकना।
4) अनुचित व्यापार को रोकधाम करना।

Scanned with CamScanner

क्षेत्र (Scope) :=> यह अधिनियम इन विषयों पर लागू होता है :—

1) देश में विद्यमान एकाधिकार प्रतियोगिता का उन्मूलन करना।
2) एकाधिकारी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले वर्गों का उन्मूलन करना।
3) वस्तु क्रय के दौरान लगायी जाने वाली कोई शर्त या बंधन।
4) वस्तुओं तथा सेवाओं की कृत्रिम कमी करके, ऊँची कीमत निर्धारित करना।
5) एकाधिकारी मूल्य पर वस्तु तथा सेवाओं का विक्रय करना।
6) सामूहिक बोली से उत्पन्न होने वाली एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना।
7) एकल प्रतिनिधि।
8) उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबंध लगाना।
9) एकाधिकार जमाने के लिए व्यापार का बहिष्कार करना।
10) काल्पनिक विचार युक्त विज्ञापनों का प्रस्ताव।

⇒ एकाधिकार व्यापार व्यवहार (Monopolistic Trade Practice [धारा 2(i)] :=>

इसमें निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है।

Scanned with CamScanner

1) किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण या पूर्ति को सीमित करके उसके मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना।

2) किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण या उसकी पूर्ति में प्रतिस्पर्धा को अनुचित ढंग से रोकना।

3) देश में उत्पादित या वितरित की जाने वाली किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को गिराने की दृष्टि से तकनीकी विकास या पूँजी विनियोग को कम करना।

4) अनुचित ढंग से किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत या सेवाओं की पूर्ति लागत में वृद्धि करना।

5) अनुचित ढंग से बेचे जाने वाले माल की कीमत में वृद्धि करना।

Scanned with CamScanner

Unit-5

Growth and Problems of Small scale Industries (लघु उद्योग की वृद्धि और समस्याएँ):⇒

⇒ **अर्थ:- कुटीर एवं लघु उद्योग से आशय :⇒**

i) **कुटीर उद्योग (cottage Industry** :- "कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं, जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है।"

ii) **लघु उद्योग (Small scale Industry)** :⇒
छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ, जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

⇒ **Role of small scale Industries in India :⇒**
(भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग की भूमिका :⇒)

(1) रोजगार में वृद्धि (Increase in Employment)

(2) कम पूंजी का विनियोजन (Lower Capital employed)

(3) गाँवों का विकास (Development of Rural Areas)

(4) आर्थिक विषमताओं का कम होना (Economic Equalities)

(5) परंपरागत कला की रक्षा (Protection to the Traditional Arts)

(6) निर्यात में वृद्धि (Increase in Export)

(7) स्वरोजगार में वृद्धि (Increase in self-Employment)

(8) उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production)

⇒ Problems of Small scale Industries :⇒

(लघु उद्योगों की समस्याएं) :⇒

(1) वित्त तथा साख की समस्या

(2) कच्चे माल की अनुपलब्धि

(3) मशीनें तथा दूसरे उपकरण

(4) क्षमता का अल्प प्रयोग

(5) विपणन की समस्याएँ

(6) पूंजी की कमी

(7) तकनीकी शिक्षा का अभाव

(8) बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करने में असमर्थ।

Scanned with CamScanner

Government Efforts in Development of Small scale Industries (लघु उद्योगों के विकास में सरकारी प्रयास)

(1) निगमों एवं मण्डलों की स्थापना (Establishment of Commissions and Boards)

(2) आर्थिक सहायता (Financial Aid)

(3) क्रेडिट गारंटी निवेश योजना (Credit ~~Guara~~ Guarantee Fund Yojana)

(4) छोटे स्तर पर जैविक खेती के लिए छूट (organic farming subsidy)

(5) वस्त्र उद्योग (तकनीकी अपग्रेडेशन फण्ड योजना)

(4) चमड़ा उद्योग विकास योजना (Development of Leather Industry)

(5) ~~एमएसएम~~ MSME के लिए बाजार विकास योजना (Market Development Assistance scheme)

(6) प्रशिक्षण एवं उपकरण केंद्र योजना (mini Tools Room and Training Centre scheme)

(7) NSIC की मदद से छोटे उद्योगों को सरकारी ~~र~~ सहायता सब्सिडी (Government subsidy for Small Business from NSIC)

Scanned with CamScanner

(9) लघु उद्योगों के लिए कोल्ड चेन सब्सिडी (subsidy for small Business for cold chain)

(9) कृषि-समुद्री प्रोसेसिंग (सम्पदा) योजना (SAMPADA Scheme for Agro-Marin Produce Procesing)

(10) डेयरी उद्योग में सरकारी छूट (Government subsidy for Dairy Farming.

⇒ Role of Public sector enterprises in India's Industrialization :⇒

भारत के औद्योगीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका :-

(1) रोजगार की उत्पत्ति (Generation of Employment)

(2) शुद्ध घरेलू उत्पाद में भाग (Share in Net Domestic Product) - 23%

(3) प्राकृतिक साधनों का विकास (Development of Natural Resources)

(4) विकास प्रवृत्ति (Development Orientation)

(5) संरचना (Infrastructures)

(18)

Scanned with CamScanner

6. अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण (control over Economy)
7. साधनों की गतिशीलता (Resource mobilization)
8. सामाजिक कल्याण (Social welfare)
9. रक्षा संबंधी उद्योगों पर नियंत्रण (control over Defense Industries)
10. संतुलित आर्थिक विकास (Balanced Economic Development)

FERA and FEMA
फेरा और फेमा

1. **FERA (फेरा)** :=> (Foreign Exchange Regulating Act 1973) (विदेशी विनिमय नियम अधिनियम)

i) - स्थापना 1 January 1974

ii) - फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूंजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात नजर रखना और विदेशों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था।

Scanned with CamScanner

i) - इस कानून को देश में तब लागू किया गया था, जब देश का विदेशी पूंजी भंडार बहुत ही खराब हालत में था।

iv) - इसका उद्देश विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था।

② FEMA (फेमा) :=> Foreign Exchange Management Act 1999) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999)।

i) - स्थापना 1 June 2000

ii) - फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है। इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

iii) - फेमा भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के सरलरण और सुधार को प्रोत्साहित करता है।

Scanned with CamScanner

iv) — फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है, कि वह भारत के बाहरी संपत्ति को खरीद सकता है, मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है।

Scanned with CamScanner